(24) HP/2014/RO
7
5/4
1.11
p.7

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र

09- अररिया लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग — I

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

मैं 09- अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम अब्दुल रहमान पिता/~~माता~~/~~पति~~ का नाम मो० शेखावत इनका डाक पता गृह सं०-141, ग्राम - टप्पू थेला, डाकघर - पीपरा, थाना - जोगबनी, प्रखंड व अनुमंडल - फारबिसगंज, जिला - अररिया. इनका नाम 09- अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 48-फारबिसगंज (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 48 में क्रम संख्या 789 पर प्रविष्टि है।

मेरा नाम सिंहेश्वर राम है जो 09- अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 48-फारबिसगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग 144 में क्रम संख्या 641. पर प्रविष्ट है।

दिनांक 5-4-2014

सिंहेश्वर राम
प्रस्तावक के हस्ताक्षर

भाग — II

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नहीं खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए)

हम एतद् द्वारा ....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम ....पिता / माता / पति का नाम ....

....उसका डाक पता ....

उसका नाम ....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ....

(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं. ....में क्रम

संख्या .... पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपदर्शित है और हम इस नाम निर्देशन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम सं0	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस)निर्वाचक होने चाहिए।

भाग -- III

मैं भाग I / ~~भाग II~~ (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति देता हूँ तथा एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि --

(क) मैंने ....29..........वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है,

निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें,

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में बहुजन समाज पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल / ~~राज्य~~ दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आबंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं, इस निर्वाचन में .... दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i)..(ii) ....(iii)..

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता / माता / पति के नाम की उपर अंकित वर्तनी देवनागरी (हिन्दी) में (भाषा का नाम) सही हैं।

(घ) अपनी सर्वोतन जानकारी और विष्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ....जाति / जनजाति का सदस्य हूँ जो.................. राज्य के उस

उस राज्य में के ....(क्षेत्र) ....से संबंधित अनुसूचित..............................

जाति / जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले'' सामान्य निर्वाचन / उप–निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊंगा।

दिनांक 5-4-2014 अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

★ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

★★ यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

★★★ यदि लागू न हो तो उन शब्दो को काट दीजिए

/ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीचढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्य द्वीप के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

भाग III – क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी –

(i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) में, या

(ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लघंन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

~~हाँ~~ / नहीं ✓

यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होगी।

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. कुछ नहीं

(ii) पुलिस स्टेशन .... जिला (जिले) .... राज्य ....

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था कुछ नहीं

(iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें) कुछ नहीं

(v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था ....

(vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा / या जुर्माने की राशि उपदर्शित ....

(vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) कुछ नहीं

(viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी / थीं

(ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख

(x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया कुछ नहीं

(xi) क्या उक्त अपील (अपीले) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाएं) का निपटारा कर लिया गया है या वे / वह अभी लंबित है कुछ नहीं

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) कुछ नहीं

(ख) पारित आदेष (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) कुछ नहीं

दिनांक 5-4-2014

स्थान अररिया

अब्दुल रहमान

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग — IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देषन पत्र की क्रम संख्या 24/HP/2014/RO यह नाम निर्देषन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में 05.04.2014 (तारीख) को 01.11 अपराह्न बजे को अभ्यर्थी / ~~प्रस्तावक~~ द्वारा दिया गया।

7/5/14

सहायक निर्वाची पदाधिकारी
रिटर्निंग ऑफिसर
09-अररिया संसदीय क्षेत्र

दिनांक 05.04.2014

जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

भाग — V

नाम निर्देषन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिष्चय
मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देषन पत्र को जॉंच लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिष्चय करता हूं :—

दिनांक ....

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण) ....

"प्ररूप 26"

(नियम 4 क देखिए)

COURT FEE

Authorization No. 2514

INDIA BIHAR

Notary Araria

Affidavit No. 314/2014

RANJAN KUMAR VERMA Notary Regd. No.-43/03 (4968) Araria (Bihar)

09- अररिया संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग—क

मैं अब्दुल रहमान **पुत्र/~~पुत्री~~/~~पत्नी~~ मो० शेरवानत आयु 29 वर्ष, जो गृह संख्या - 141, ग्राम - टप्पू टोला, डाकघर - पिपरा, थाना - जोगबनी, प्रखंड व अनुमंडल - फारबिसगंज, जिला - अररिया (डाक का पूरा पता लिखें) का/~~की~~ निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/~~करती~~ हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/~~करती~~ हूं:-

RANJAN KUMAR VERMA Notary Regd. No.-43/03 (4968) Araria (Bihar)

(1) मैं बहुजन समाज पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/. ~~**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी~~ के रूप में लड़ रहा हूं।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 48 - फारबिसगंज विधानसभा (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 48 के क्रम सं. 789 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलिफोन नं. 8809348553 है/हैं और मेरा ई—मेल आईडी (यदि कोई हो तो) —— है एवं मेरा सोशल मीडिया एकांउट्स (अगर कोई हो) है ——

M G Ahsan Reza Adv 05/04/014

अब्दुल रहमान

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाईल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रुपए में)
1.	स्वयं	BHAPR3324B	2013-2014	
2.	पति या पत्नी	—	—	—
3.	आश्रित–1	—	—	—
4.	आश्रित–2	—	—	—
5.	आश्रित–3	—	—	—

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभ्यर्थी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा अरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	कुछ नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	कुछ नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	कुछ नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	कुछ नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	कुछ नहीं
(च)	क्या राभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	कुछ नहीं

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No. 43/03 (4968J)
Araria (Bihar)

Md. Ahsan Reza
Adv
08/04/2014

अब्दुल रहमान

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त
मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	कोई नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	कोई नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	कोई नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	कुछ नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	कुछ नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	कुछ नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	कुछ नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:--

टिप्पण 1-- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2-- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है।

RANJAN KUMAR VERMA Notary Regd. No. 43/03 (4968/) Araria (Bihar)

Md. Ahsan Reza Adv 09/04/0143 अब्दुल रहमान

टिप्पण 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	हाथ में नकदी	50,000/-	25,000/-	—	—	—
(ii)	बैंक खातों में जमा ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	Central bank of India- A/c-2020637521 Balance-3848/-	—	—	—	—
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	—	—	—	—	—
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	—	—	—	—	—
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	—	—	—	—	—
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट /पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	—	—	—	—	—
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	30 gm- GOLD 90,000/-	50 gm- GOLD- 1,50,000/-	10gm- GOLD- 30,000/-	150gm- silver- 7,500/-	150gm- silver- 7,500/-
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	—	—	—	—	—
(ix)	सकल कुल मूल्य	1,43,848/-	1,75,000/-	30,000/-	7,500/-	7,500/-

Md Ahsanul Haque Adv 05/04/014

अतावुल रहमान

RANJAN KUMAR VERMA Notary Regd. No.-43/03 (4968J) Araria (Bihar)

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षक संख्यांक(संख्याएं)	मौजा-पीपरा खाता-323 खेसरा-4166 4160	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	42 डि	—	—	—	—
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	नहीं	—	—	—	—
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	1992	—	—	—	—
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	10,000/-	—	—	—	—
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	—	—	—	—
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	2,00,000/-	—	—	—	—
(ii)	गैर कृषि भूमिः अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	—	—	—	—	—
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	—	—	—	—	—
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	—	—	—	—	—
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	—	—	—	—	—
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोइ विनिधान	—	—	—	—	—
	अनुमानित बाजार मूल्य	—	—	—	—	—
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	—	—	—	—	—
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	—	—	—	—	—
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	—	—	—	—	—

RANJAN KUMAR VERMA Notary Regd. No.-43/03 (4968) Araria (Bihar)

Md. Ahsan Reza 05/04/014

अहसनुल रहमान

	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	—	—	—	—	—
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	—	—	—	—	—
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से संपति पर कोइ विनिधान	—	—	—	—	—
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	—	—	—	—	—
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित): अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	कुछ नहीं	फूस का मकान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	—	2150	—	—	—
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	—	850	—	—	—
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	—	हाँ	—	—	—
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	—	—	—	—	—
	क्रय के समय भूनि की लागत(क्रय की दशा में)	—	—	—	—	—
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोइ विनिधान	—	—	—	—	—
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	—	2,50,000/-	—	—	—
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	—	—	—	—	—
(vi)	पूर्वोक्त (i) से(V) का कुल चालू बाजार मूल्य	2,00,000/-	2,50,000/-	—	—	—

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	—	—	—	—	—
	कोई अन्य दायित्व	—	—	—	—	—

RANJAN KUMAR VERMA Notary Regd. No.-43/03 (4968)) Araria (Bihar)

Md. Ahsan Reza Adv. 05/04/014

अब्दुल रहमान

6

	दायित्वों का कुल योग	—	—	—	—	—
(ii)	सरकारी शोध्यः सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	—	—	—	—	—
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	—	—	—	—	—
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	—	—	—	—	—
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	—	—	—	—	—
	आय–कर शोध्य	—	—	—	—	—
	धनकर शोध्य	—	—	—	—	—
	सेवाकर शोध्य	—	—	—	—	—
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	—	—	—	—	—
	विक्रयकर शोध्य	—	—	—	—	—
	कोई अन्य शोध्य	—	—	—	—	—
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरेः

(क) स्वयं........ व्यापार

(ख) ~~पति~~ या पत्नी........ व्यापार

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार हैः–

साक्षर

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

RANJAN KUMAR VERMA Notary Regd. No.-43/03 (4968) Araria (Bihar)

M.Q. Afsar ... 05/04/014

अब्दुल रहमान

भाग–ख

(11) भाग–क के (1) से (10) तक में लिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री / ~~श्रीमती~~ / ~~कु0~~ अब्दुल रहमान
2	डाक का पता	गृह सं0-141, ग्राम - रप्पू टोला डाकघर - पिपरा, थाना - जोगबनी प्रखंड व अनुमंडल - फारबिसगंज जिला - अररिया (बिहार)
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	09 - अररिया लोकसभा (बिहार)
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	बहुजन समाज पार्टी
5	(i)ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं	कुछ नहीं
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	कुछ नहीं
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है।(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	कुछ नहीं

7		.... का स्थायी लेखा सं0	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी		2013-2014	
	(ख) पति या पत्नी	—	—	—
	(क) आश्रित	—	—	—

8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1,43,848/-	1,75,000/-	30,000/-	7,500/-	7,500/-
ख	स्थावर आस्तियां	2,00,000/-	2,50,000/-	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No.-43/03
(4968J)
Araria (Bihar)

Md Ahsan Reza
Adv
25/04/2014

अब्दुल रहमान

	I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	10,000/-	—	—	—	—
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	नही	—	—	—	—
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	~~2,00,000/-~~	—	—	—	—
		(क) स्वर्जित आस्तियां(कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	2,00,000/- कुछ नही	— 2,50,000/-	— —	— —	— —
9		दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हताः साक्षर (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरें दें।)					

RANJAN KUMAR VERMA Notary Regd. No.-43/03 (4968) Araria (Bihar)

Md. Ahsan Raza Adv 03/04/04

9 आबदुल रहमान

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि:–

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 5-4-2014 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पणः 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणः 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पणः 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121–2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ–पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं........ 8809348553 ....

मेरा ई–मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है..

एवं मेरा सोशल मीडिया एकांउट्स (अगर कोई हो) है...

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No.-43/03
(49681)
Araria (Bihar)

RKVe 05/04/019
RANJAN KR. VERMA
NOTARY
ARARIA BIHAR (INDIA)